बीमार महिला को खाट पर लिटाकर उफनता खाल पार करवाया

राजस्थान व सीमावर्ती मध्यप्रदेश में कई दिन से बारिश होने पर आवागमन बाधित हो रहा है

छबड़ा, (निसं)। राजस्थान व समीपवर्ती मध्यप्रदेश में पिछले दिनो से हो रही बारिश के कारण नदी, नालो आदि मे पानी की भारी आवक हो गई हैं, जिससे कई गांवो का आवागमन अवरूद्ध होने लगा हैं। सोमवार को मूंडला ग्राम पंचायत के कछावन गांव में एक वृद्ध महिला बीमार हो गई, जिसे ग्रामीणों ने उफनते खाल में खाट पर लिटा कर खाल पार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसी ही स्थिति कई गांवो में भी हैं।

जानकारी अनुसार राजस्थान व एमपी में बारिश होने से पार्वती, रेणुका, अंधेरी आदि नदियों के साथ-साथ खालो मे भी पानी की आवक हो जाने से ग्रामीणो के सामने आवागमन के लिए विकट समस्या उत्पन्न हो गई हैं। बारिश के दौरान ग्रामीण खतरे से खेलने से भी नही चूक रहे हैं। वही, बीमारों को खाट पर लिटा कर जान-जोखिम में डाल कर उफनता खाल पार करना ग्रामीणों की मजबूरी बन गई है। सोमवार को कछावन गांव में खाल की पुलिया नहीं होने से बीमार गुलाब बाई (70) को ग्रामीणों ने उफनते खाल में खाट पर लिटा कर खाल को पार कराना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि वर्शा के दौरान पार्वती का पानी खाल में पानी आ जाने से आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता हैं, जिससे स्कूली विद्यार्थियों की पढ़ाई तो प्रभावित होती हैं साथ में, मार्ग अवरूद्ध होने से गर्भवती, प्रसव पीड़ितो व रोगियों को खाट पर लेटाकर ही खाल को पार करवाकर छबड़ा अस्पताल में ले जाना पड़ता है। यहां तक की उन्हे खाद्य सामग्री लाने मे भी परेषानी होती हैं। गांव के ही गिर्राज मीना सहित अन्य ग्रामीणो के अनुसार इस समस्या से जनप्रतिनिधियों व प्रषासन को कई बार अवगत करवा दिया परंतु समाधान नही हो पाया हैं।

कछावन गांव में एक वृद्ध महिला के बीमार हो जाने पर ग्रामीणों ने खाट पर लिटाकर उफनते नाले को पार कराया।

■ **नदी, नालों में पानी की भारी आवक होने से कटा संपर्क**

वही, पुलिया नही बनने से बारिष में यह गांव टापू बन जाता हैं। जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व ही कडैयावन गांव मे इसी गांव निवासी बाबूलाल सेन की खाल मे बहने से मृत्यु हो गई थी। क्षेत्र मे रविवार शाम से सोमवार दोपहर तक झमाझम बारिश का दौर जारी रहा और दो इंच वर्शा दर्ज की गई। क्षेत्र में अब तक 634 मिमी वर्षा रिकोर्ड की गई हैं।

ग्रंथी के बाल काटने पर रामगढ़, नौगांवा व अलावड़ा के बाजार बंद

अलवर के रामगढ़ कस्बे में घटना के विरोध में बाजार बंद रहे।

अलवर, (निसं)। अलवर के रामगढ में अलावडा रोड पर चार दिन पहले मिलकपुर गांव के पूर्व ग्रंथी के बाल काटने के मामले में आमजन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है।

सोमवार को नौगांवा, रामगढ व अलावडा सहित आस-पास के बाजार बंद हैं। अभी पुलिस ने आरोपी गिरफ्त में नहीं लिया हैं। असल में ग्रंथी के बाल काटते समय बदमाशों के हाथ में छुरा था। वे गर्दन काटने की बात भी कर रहे थे लेकिन, ग्रंथी ने बदमाशों से कहा कि वे सीकरी के रहने वाले हैं। उसे क्यों मारना चाहते हैं।

इसके बाद वहां खडे बदमाशों ने किसी अन्य व्यक्ति से जुम्मा बोलकर बातचीत की थी। बाद में गुरबख्श को छोड़ा गया। इस घटना से माहौल खराब होने का डर भी था। पुलिस ने जल्दी ही आरोपी को गिरफ्त में लेने का आश्वासन दिया था लेकिन, अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। एक दिन पहले ही समाज के लोगों ने बैठक की थी। इसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने निर्णय किया था कि ग्रंथी के बाल काटने वाले मुस्लिम समाज के आरोपी निकले तो उनको बिरादरी से बाहर किया जाएगा। पुलिस ने अभी तक मामले का खुलासा नहीं किया है।

■ **पुलिस के जल्द गिरफ्तारी के आदेशो के बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है**

असल में आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। रामगढ के लोगों ने दो बार पंचायत की है। अब बंद के बाद जल्दी आगे की रणनीति बनाई जाएगी। क्षेत्र के बाशिंदे चाहते हैं कि समाजों में माहौल खराब करने वाले ये अपराधी हर हाल में गिरफ्तार किए जाएं ताकि भाईचारा नहीं बिगड़े।

जानकारी अनुसार सरदारों के बाल नहीं काटे जाते है लेकिन किसी ने ग्रंथी के बाल काट दिये। इस कारण यह बवाल मच गया।

आबकारी प्रहराधिकारी ने ढाबे मालिक से ली 25 हजार की मासिक बंधी, एसीबी ने दबोचा

मावली, (निसं)। मावली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम ने सोमवार को कस्बे के आबकारी थाने के पदाधिकारी रविंद्र सिंह खींची को मासिक बंधी के 25000 रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है वही आपकारी में कार्यरत अनुबंधित ड्राइवर भैरू सिंह चुंडावत मौके से फरार हो गया है आरोपी ढ ाबा मालिक जीवन लाल मेनारिया से झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पूर्व में भी जबरन 47800 वसूल चुके हैं और अब मासिक बंदी के 30000 मांग रहे थे रविंद्र सिंह को रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं भैरू सिंह मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है

परिवादी ने बताया कि मेनार चौराहे पर राजश्री होटल नाम से डाबा है पिछले दिनों आबकारी थाने के प्रहरा अधिकारी रविंद्र सिंह के ढ ाबे पर आए और धमकाते हुए कहा कि तवे पर अवैध शराब और अन्य धंधा करता है झूठा केस बना जेल में डाल दूंगा यह कहकर रविंद्र सिंह ने ढ ाबे के अलमारी में रखे 45800 जबरन ले लिए और धमकी दी के अलावा चलाना है तो मासिक बंदी के 30000 हर माह देने होंगे परिवादी की शिकायत का सत्यापन किया तो रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई। इसमें पदाधिकारी देवेंद्र सिंह के दलाल ड्राइवर भैरू सिंह ने 25000 मासिक बंदी की इस एसीबी निरीक्षक हरीश चंद्र सिंह और सोनू शेखावत के नेतृत्व में मावली आबकारी थाने के आसपास पहुंच गई। रविंद्र सिंह ने परिवादी को मासिक बंदी के 25000 लेकर थाने पर ही बुला लिया प्रहराकारी रविंद्र सिंह के कहने पर ड्राइवर भैरू सिंह ने मासिक बंदी के25000 परिवादी से ले लिए। इसके बाद ड्राइवर भैरू सिंह ने 4000 खुद के पास रखे और 21000 पदाधिकारी के ऑफिस रूम में रखी रविंद्र सिंह की पेंट की जेब में रख दिए। इस दौरान कार्यालय पर एसीबी टीम ने दबिश दी और रविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उसकी पेंट की जेब से 21000 रिश्वत के बरामद किए किंतु ड्राइवर भैरू सिंह मौके से फरार हो गया

यह कार्रवाई एसीबी निरीक्षक हरीश चंद्र सिंह और सोनू शेखावत के नेतृत्व में एएसआई गजेंद्र कुमार कांस्टेबल मुनीर मोहम्मद करण सिंह टीका राम सुरेश और मांगीलाल की टीम ने किया।

उदयपुर एसीबी की टीम ने आरोपी रविन्द्र सिंह खिंची को गिरफ्तार किया।

■ **झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पूर्व में भी जबरन 47800 वसूल चुके हैं आरोपी**

सूचना आयोग ने जुर्माना लगाया

हनुमानगढ़, (निसं)। जिले में राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर एवं मेला मजिस्ट्रेट गोगामेड़ी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने वाले अफसर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के फैसले की प्रति जरिये डाक से शनिवार को अपीलार्थी को मिली। भादरा क्षेत्र के सरदारगढिया निवासी गोगाजी के श्रद्धालु महेन्द्र सिंह वर्मा ने एसडीएम नोहर एवं मेला मजिस्ट्रेट गोगामेड़ी के खिलाफ आयोग में अपील दायर की थी । राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर एवं मेला मजिस्ट्रेट गोगामेड़ी के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विनिश्चय नहीं दिया गया, न ही उसने अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के लिए अवलोकन एवं चिन्हिकरण के लिए आमंत्रित किया। राज्य लोक सूचना आयोग ने अपने आदेश में लिखा है कि निर्णय प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को रिकॉर्ड अवलोकन के लिए आमंत्रित करें व प्रथम 50 पृष्ठ की सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाए।

मौसेरे भाई बहन की हत्या : मुख्य आरोपी नासिक से गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं) । निकटवर्ती लूणी के सर गांव में मौसेरे भाई बहन की हत्या के मुख्य आरोपी शंकर पटेल को नासिक से दस्तयाब कर पुलिस आज सुबह जोधपुर पहुंची और लूणी पुलिस के सुपुर्द कर दिया । अब उससे लूणी पुलिस तफ्तीश में जुटी है। वह वारदात को अंजाम देने के बाद गुजरात अहमदाबाद और बाद में महाराष्ट्र के नासिक भाग गया था ।

पुलिस ने उसकी लोकेशन को बराबर ट्रेस कर उसका पीछा किया और आखिरकार शनिवार की देर रात उसे दस्तयाब कर लिया था। आरोपी नासिक में एक दुकान में काम करने लगा था और अपना हुलिया भी कुछ बदल दिया था । प्रकरण से जुड़ा यह पांचवां आरोपी है जो कि अब पुलिस के हाथ लगा है। चार आरोपियों मे मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया है। तीन पहले से गिरफ्तार अभियुक्त अभी पुलिस अभिरक्षा में हैं।

पुलिस की आरंभिक पड़ताल में सामने आया कि हत्या अवैध संबंध के चलते हुई। मृतक रमेश पटेल का अपनी पत्नी से संबंध अच्छा नहीं चल रहा था । उसकी पत्नी शंकर पटेल नाम के शख्स से दोस्ती के चलते अपनी व्यथा बताई थी। तब शंकर ने अपने कुछ परिचितों रमेश माली, सोहन सुथार, राकेश पटेल के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। इन लोगों को रमेश पटेल को रास्ते से हटाना था मगर कविता की भी हत्या कर डाली। मृतक रमेश पटेल की पत्नी गुड्डी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

लघु पनबिजलीघर में उत्पादन शुरु

सूरतगढ़ , (निसं)। थर्मल पावर प्लांट की इंदिरा गांधी नहर पर स्थित करीब 30 वर्ष पुराने लखूवाली लघुपन बिजली घर से पांच साल बाद उत्पादन बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। गौरतलब है कि करीब 5 साल से लघु पनबिजली घर से तकनीकी खराबी के चलते उत्पादन ठप्प था। मुख्य अभियंता एसपी बंसल ने बताया कि 2 मेगावाट बिजली उत्पादन यह इकाई जनवरी 2018 से तकनीकी खामी के चलते बंद पड़ी थी। जिसको शुरू करने से उक्त संयंत्र से 2000 यूनिट बिजली उत्पादन प्रति घंटा होगा। जिसकी सप्लाई रावतसर ग्रिड में की जाएगी। इस दौरान थर्मल के मुख्य अभियंता एसपी बंसल, अधिशाषी अभियंता हीरालाल परिहार, सहायक अभियंता पवन सोयल सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

तेजाब डालने से आधा दर्जन घायल

सादुलपुर, (निसं)। कहासुनी को लेकर मारपीट के दौरान तेजाब की बोतल से वार करने से करीबन आधा दर्जन लोग तेजाब से जलने से घायल हो गये, जिनमें एक व्यक्ति की हालात खतरे से बाहर है तथा बची हुई तेजाब डालने से गाडी जल गई। जिसका राजगढ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी कृष्ण कुमार बलोदा ने बताया कि मोहरसिंह पुत्र बीरबल राम जाति जाट उम्र 61 साल निवासी श्योपुरा ने इस आरोप का मामला दर्ज करवाया है कि श्रावण मास के चलते उसकी पुत्रवधू राजकला शनिवार को पुजा करने के लिए वहां गई हुई थी, तथा उस दौरान उसकी राजपाल के साथ कहासुनी हो गई। उसी रंजिश को लेकर आज सुबह लगभग 8 बजे राजपाल व उसकी पत्नी चमकौर ने उसकी पुत्रवधू के साथ मारपीट कर दांत तोड दिये। राजपाल ने जान से मारने की नियत से दिनेश, राजकला, अशोक, कुलदीप व सुनहरी पर तेजाब फैंक दी तथा शेष बची तेजाब बोतल को अपनी गाडी में फैंक दी, जिससे गाडी जल गई।

पी. सी ज्वेलर्स पर डेढ़ लाख रुपए का हर्जाना लगाया

■ **दिल्ली की ज्वेलरी फर्म द्वारा पेन्डल सेट में लगे स्टोन ग्राहक को सोने के भाव तौल कर बेचने पर उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने हर्जाना लगाया**

जोधपुर, (कासं) । दिल्ली की ज्वेलरी फर्म द्वारा पेन्डल सेट में लगे स्टोन को भी ग्राहक को सोने के भाव तौल कर बेचने पर उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने उक्त फर्म पर डेढ लाख रुपए हर्जाना लगाया है।

मामले के अनुसार चौपासनी हाउसिंग बोर्ड निवासी उर्वेश जैन ने दिल्ली की फर्म पी सी ज्वेलर्स के सरदारपुरा स्थित शोरूम से अक्टूबर 2016 में 21.24 ग्राम सोने का पैंडल सैट खरीदा, जिसके कुल वजन की कीमत उससे सोने के भाव वसूल की गई। यह पेंडल सेट टूटने पर उसे पता चला कि इसमें बारीक स्टोन (डिजाइन आकर्षक बनाने में काम आने वाले नग, नगीने) लगाये हुए हैं, जिनका वजन कम नहीं किया जाकर सेट में शामिल कर सोने की दर से ही कीमत वसूल की गई है। इस पर उसने ज्वेलर्स के विरुद्ध उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया गया।

विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर बताया कि यह ज्वेलरी एक डिजाइनर आइटम है व देखने से ही स्टोन लगे होने जाहिर होते हैं । ग्राहक को भी इस बाबत बता दिया गया था। उनके बिल में अंकित शर्तों के अनुसार आइटम अदला-बदली करने पर स्टोन की कीमत भी सोने की दर से अदा की जाती है। ग्राहक द्वारा इन शर्तों को स्वीकार करते हुए ही आइटम की खरीद की गयी है।

आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी ने अपने निर्णय में कहा कि किसी भी व्यापारी को ज्वेलरी में लगे पत्थरों को सोने के भाव ग्राहक को बेचने का अधिकार नहीं है। ग्राहक के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह भविष्य में विक्रेता से ही इस ज्वेलरी की अदला-बदली या रिटर्न करें। अन्य किसी व्यापारी द्वारा स्टोन की कीमत सोने के भाव नही दी जानी है।

आयोग ने ग्राहक पर इस प्रकार की शर्तें थोपना अवैध व अनुचित व्यापार-व्यवहार किया जाना माना तथा स्टोन के निमित्त नाजायज वसूली की गई साढ़े पांच हजार रुपए की राशि वापस लौटाने के साथ शारीरिक व मानसिक वेदना की क्षितपूर्ति पचास हजार रुपए हर्जाना परिवादी को भुगतान करने का आदेश दिया है।

यह राशि दो माह की अवधि में उपभोक्ता कल्याण कोष राजस्थान में जमा कराने का विपक्षी को आदेश दिया गया है।

अवैध खनन : चार दिन में 190 प्रकरण दर्ज कर 50 लाख का जुर्माना वसूला

180 वाहन संबंधित थानों में जब्त : एसीएस डॉ. अग्रवाल

जयपुर, (कासं)। अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के विरुद्ध समूचे प्रदेश में कार्यवाही करते हुए पिछले चार दिनों में करीब 190 प्रकरण दर्ज करते हुए 180 वाहन-मशीनरी की जब्ती के साथ ही 50 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं जलदाय डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और माइंस विभाग द्वारा समन्वय बनाते हुए समूचे प्रदेश में अवैध माइनिंग गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में पिछले चार दिनों में लगभग 60 एफआईआर संबंधित थानों में दर्ज कराई जा चुकी है। उदयपुर में दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है।

एसीएस माइंस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में सर्वाधिक 60 प्रकरण उदयपुर वृत में अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के निर्देशन में दर्ज किए गए है। जयपुर में 53 प्रकरण दर्ज हुए है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त निदेशक नरेन्द्र कोठ्यारी मॉनेटरिंग के लिए राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

महेश माथुर ने बताया कि उदयपुर वृत के 60 प्रकरणों में से एसई उदयपुर द्वारा 18 प्रकरण दर्ज कर 9 एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां 15 ट्रेक्टर ट्राली, 3 ट्रोला डंपर, एक एचईएमएममशीन सहित 21 वाहन जब्त किए गये हैं। इसी तरह से राजसमंद में 32 प्रकरणों में 30 एफआईआर व 32 वाहन मशीनरी की जब्ती की जा चुकी है। भीलवाड़ा में 10 प्रकरणों में 8 एफआईआर और वाहन मशीनरी जब्त की गई है।

अतिरिक्त निदेशक बीएस सोढ़ा के निर्देशन में जयपुर वृत जयपुर एसएमई प्रताप मीणा व अजमेर एसएमई जय गुरुबख्सानी के नेतृत्व में कार्यवाही की जा रही है। अतिरिक्त निदेशक जयपुर बीएस सोढ़ा के क्षेत्र में अजमेर, नागौर व पाली में जय गुरुबख्सानी व जयपुर, अलवर, सीकर, झुन्झुनू, टोंक और दौसा में एसएमई प्रताप मीणा द्वारा की गई कार्यवाही में 53 प्रकरण दर्ज कर 62 वाहन मशीनरी आदि की जब्ती की गई है। इसके साथ ही 20 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूला जा चुका है।

अतिरिक्त निदेशक कोटा महावीर मीणा के निर्देशन में एसएमई कोटा अविनाश कुलदीप व भरतपुर एमई के नेतृत्व में कोटा, बूंदी, झझलावाड, बारां, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में 30 प्रकरण दर्ज करने के साथ ही 31 वाहन मशीनरी जब्त की गई है। वृत में 15लाख से अधिक का जुर्माना भी वसूला गया है।

जोधपुर में एसएमई धर्मेन्द लुहार व टीम द्वारा 30 प्रकरणों में 3 एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही 25 वाहन मशीनरी जब्त की गई है। जोधपुर में जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जालौर में कार्यवाही की गई।

बीकानेर वुत में एसएमई भीम सिंह के नेतृत्व में एसएमई आरएस बलारा व अन्य अधिकारियों की टीम ने बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चुरु में 16 प्रकरण दर्ज किए हैं। 11 वाहनों की जब्ती के साथ ही 8 लाख रु. से अधिक का जुर्माना वसूला गया है।

निदेशक माइंस कुंज बिहारी पाण्डया द्वारा समूची कार्यवाही पर नजर रखते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।

राजसमंद में जेसीबी की सहायता से अवैध खनन किया जा रहा है।

■ **चार दिनों में 60 एफआईआर दर्ज, उदयपुर में दो गिरफ्तार**

चंबल नदी खतरे के निशान से 2.69 मीटर दूर

धौलपुर के पास से चम्बल नदी का लिया गया विहंगम दृश्य।

धौलपुर (निस)। हाड़ौती अंचल सहित अन्य जगह हो रही बारिश और कोटा बैराज से छोड़े जा रहे पानी की आवक से धौलपुर में चम्बल नदी का जलस्तर धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है।

सिंचाई विभाग धौलपुर के पोपेन्द्र मीणा ने बताया कि सोमवार शाम को 6 बजे धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर 128.10 दर्ज किया गया। जो कि खतरे के निशान से 2.69 मीटर कम है। हालांकि आमजन को अभी किसी भी तरह से चिंचित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है।

आपको बता दे कि धौलपुर जिले में चम्बल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है, वहीं ऐतिहातन प्रशासन के आला अधिकारी और पटवारी चम्बल नदी के बढ़ ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं।

साथ ही निचले स्थानों पर ग्रामीणों को एलर्ट भी कर दिया है। वही नदी हुई पानी की की आवक के बाद चम्बल पर बने पुराने पुल पर जरूर लोगों की आवाजाही शुरू हो गयी है। सेल्फी पॉइंट के नाम से चर्चित इस पुल पर लोगों के आवागमन से खतरा बना हुआ है।

पड़ोसियों ने परिवार को बेदखल किया

जालोर, (कासं)। जालौर जिले के बागोडा क्षेत्र के खोखा गांव में पिछले 60 दशक से निवास कर रहे परिवार को पडोसियों ने मिलकर मारपीट कर घर से बेदखल कर दिया। बागोड़ा उपखंड में प्रशासन की अनदेखी के चलते पीड़ित परिवार खुले आसमान में रात गुजारने को मजबुर है। इस पीडित परिवार ने न्याय की गुहार के लिए बागोडा पुलिस थाना में मामला भी दर्ज करवाया है। तहसील कार्यालय में जमीन विवाद की दलील भी पेश की है।

आम सूचना दिनांक:-25.07.2022
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जूही खण्डेलवाल पत्नि आकाश कुमार निवासी 134, वार्ड नम्बर-02, पालमपुर-टी, कांगडा, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने स्वामित्व की सम्पत्ति जिला जयपुर, तहसील सांगानेर, ग्राम नानकपुरा उर्फ हेमा की नांगल मे खसरा नम्बर 9, 10 व 18 मे रुपान्तरित ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड के ब्लॉक सी-2 (जी) मे निर्मित "गुरुशिखर- H" की सातवी मंजिल पर एक फ्लैट/यूनिट नम्बर H-802 स्थित है को विक्रय किये जाने का इकरार मेरे अभिभाष्य मनोज सिह चौहान पुत्र राम सिंह, निवासी प्लाट नम्बर 1 कैलाशपुरी, मोती डूंगरी रोड जयपुर से कर बतौर अग्रिम राशि प्राप्त कर ली गई है। उक्त बैचान के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई उज्र या आपत्ति हो तो तीन दिवस में मय दस्तावेज अपनी आपत्ति मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद कोई उज्र या आपत्ति स्वीकार नही होगी। अतः सूचित रहे। भवदीय
(रविन्द्र सिह ठाकुर) एडवोकेट, मो:-9782462210